



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2266]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2016/भाद्र 25, 1938

No. 2266]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2016/BHADRA 25, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2016

का.आ. 2972(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपखण्ड (47) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए अवसंरचना ऋण निधि के रूप में निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा इसके बाद के निर्धारण वर्षों के लिए मैसर्स इंडिया इन्फ्राडेट लिमिटेड को अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, नामतः:

- (i) कि अवसंरचना ऋण निधि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2च तथा इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगी तथा इसका अनुपालन करेगी ;
- (ii) कि अवसंरचना ऋण निधि को निर्धारित तारीख को या उसके पहले धारा 139 की उपधारा 4ग के द्वारा यथा अपेक्षित अपनी आयकर विवरणी भरनी जरूरी होगी।

[अधिसूचना सं. 83/2016/फा.सं. 173/50/2013-आईटीए-1]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक